

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 13/2022-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2022

सा.का.नि.....(अ). - केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद के अधीन आने वाले वर्णित माल को जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित किए गए हैं, जब वह भारत में आयात किए जाते हैं, उक्त प्रथम अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने सीमाशुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट मानक दर पर संगणित रकम से अधिक है, इस अधिसूचना के उपाबंध में यथा विनिर्दिष्ट किन्ही शर्तों के अध्याधीन, उस शर्त संख्या को जो उक्त सारणी के स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित है, छूट देती है।

सारणी

क्र.सं.	अध्याय या शीर्षक या उपशीर्षक या टैरिफ मद	माल का विवरण	मानक दर	शर्त सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	8506 50 00	स्मार्ट मीटरों में उपयोग के लिए बैटरी	शून्य	1 और 4
			5%	1 और 5
			10%	1 और 6
			10%	1 और 7
2.	कोई अध्याय	क्रम संख्या 1 पर उल्लिखित मदों के विनिर्माण	शून्य	1 और 3

		में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे या उपपुर्जे		
3.	8517 69 90	स्मार्ट मीटर के विनिर्माण में उपयोग के लिए संचार मॉड्यूल	शून्य	1 और 4
			शून्य	1 और 5
			5%	1 और 6
			10%	1 और 7
4.	कोई अध्याय	क्रम संख्या 3 पर उल्लिखित मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे या उपपुर्जे	शून्य	1 और 3
5.	8517 71 00	स्मार्ट मीटरों के विनिर्माण में उपयोग के लिए एन्टीना	शून्य	1 और 4
			शून्य	1 और 5
			5%	1 और 6
			10%	1 और 7
6.	कोई अध्याय	क्रम संख्या 5 पर उल्लिखित मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे या उपपुर्जे	शून्य	1 और 3
7.	8524 11 00 या 8524 91 00	स्मार्ट मीटर के विनिर्माण में उपयोग के लिए एलसीडी के लिए तरल क्रिस्टल प्रदर्श (एलसीडी) या पृष्ठभाग प्रकाश	शून्य	1 और 4
			5%	1 और 5
			10%	1 और 6
			10%	1 और 7
8.	कोई अध्याय	क्रम संख्या 7 पर उल्लिखित मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे या उपपुर्जे	शून्य	1 और 3
9.	8536 49	स्मार्ट मीटर के विनिर्माण में उपयोग के लिए	5%	1 और 4

	00	रिले	10%	1 और 5
			10%	1 और 6
			15%	1 और 7
10.	कोई अध्याय	क्रम संख्या 9 पर उललिखित मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे या उपपुर्जे	शून्य	1 और 3
11.	9028 30 10	स्मार्ट मीटर	15%	2
12.	9028 90 10	स्मार्ट मीटर के विनिर्माण में उपयोग के लिए प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड समुच्चय (पीसीबीए)	20%	1 और 3
13.	कोई अध्याय	क्रम संख्या 12 पर उललिखित मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे या उपपुर्जे	शून्य	1 और 3

उपाबंध

शर्त सं.	शर्त
1.	यदि आयातक सीमाशुल्क (शुल्क की रियायत दर पर माल का आयात) नियम, 2017 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करता है ।
2.	तारीख 31 मार्च, 2022 तक विधिमान्य
3.	1 अप्रैल, 2022 से विधिमान्य
4.	तारीख 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक विधिमान्य
5.	तारीख 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक विधिमान्य
6.	तारीख 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक विधिमान्य

7.	1 अप्रैल, 2025 से विधिमान्य
----	-----------------------------

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2022 से प्रवृत्त होगी ।

[F.No.334/01/2022-टीआरयू]

(नितिश कर्नाटक)
अवर सचिव, भारत सरकार